

कार्यालय आयुक्त, देवस्थान विभाग, राजस्थान— उदयपुर  
क्रमांकः— एफ १(२)वरि.नाग.ती.या.यो./देव/2016/17868

दिनांक २५.११.१६

### विज्ञप्ति

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2016 के अन्तर्गत ई-मित्र/ऑनलाईन द्वारा भरे गये आवेदन पत्र की हार्ड-कॉपी में आवेदक द्वारा जीवनसाथी/सहायक भरा गया है तो उसके हस्ताक्षर वाले कॉलम की पूर्ति कर एवं चिकित्सा प्रमाण—पत्र की पूर्ति कर आवेदन अपने पास ही सुरक्षित रखना है, कही पर भी जमा नहीं कराना है। आवेदक का लॉटरी में चयन हो जाने पर हार्ड-कॉपी, आवेदन में भरे गये प्रमाण—पत्रों की मूल कॉपी एवं अपने/जीवन साथी/सहायक के पासपोर्ट साईज के फोटो गन्तव्य स्थान पर साथ लेकर आना अनिवार्य होगा।

वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2016 के अन्तर्गत ई-मित्र/ऑनलाईन द्वारा भरे जाने वाले आवेदन की अन्तिम तिथि 25.11.2016 से दिनांक 2.12.2016 तक बढ़ाई जाती है। इसके बाद कोई भी आवदेन—पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

आयुक्त  
देवस्थान विभाग,  
राजस्थान, उदयपुर